"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26]   रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 30 जून 2017—आषाढ़ 9, शक 1939

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 14 जून 2017

क्रमांक ई 1-01-2017/1-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री राजेश सुकुमार टोप्पो, भा.प्र.से. (2005), संचालक, जनसंपर्क तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संयुक्त सचिव, जनसंपर्क विभाग (स्वतंत्र प्रभार) का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 31 मई 2017

क्रमांक 7-52/2016/32 पार्ट-2.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 64 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 65 की उपधारा (1) के अंतर्गत अमरकंटक विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, जिला बिलासपुर हेतु निम्नानुसार विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी का गठन करता है :—

अमरकंटक विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण हेतु विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी

1.	कलेक्टर, जिला बिलासपुर	अध्यक्ष
2.	पुलिस अधीक्षक, जिला बिलासपुर	सदस्य
3.	वन मण्डलाधिकारी, वन मण्डल मरवाही, जिला बिलासपुर	सदस्य
4.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला बिलासपुर	सदस्य
5.	अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जिला बिलासपुर	सदस्य
6.	अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण, जिला बिलासपुर	सदस्य
7.	अधीक्षण अभियंता, हसदेव कछार, जिला बिलासपुर	सदस्य
8.	क्षेत्रीय अधिकारी, पर्यावरण संरक्षण मंडल, जिला बिलासपुर	सदस्य
9.	अधीक्षण अभियंता, छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल, जिला बिलासपुर	सदस्य
10.	अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) जिला बिलासपुर	सदस्य
11.	उप संचालक, खनिज विभाग, जिला बिलासपुर	सदस्य
12.	मुख्य प्रबंधक, उद्योग विभाग, जिला बिलासपुर	सदस्य
13.	उप संचालक, कृषि विभाग, जिला बिलासपुर	सदस्य
14.	कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी विभाग, जिला बिलासपुर	सदस्य
15.	महाप्रबंधक, पर्यटन मण्डल, जिला बिलासपुर	सदस्य
16.	मध्यप्रदेश शासन द्वारा मनोनीत सदस्य	सदस्य
17.	अपर कलेक्टर, पेण्ड्रा रोड जिला बिलासपुर	सदस्य
18.	संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर	सदस्य
19.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अमरकंटक विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अमरकंटक.	सदस्य सचिव

2. इसके अतिरिक्त अन्य सदस्यों का मनोयन पृथक से किया जायेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय शुक्ला, सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 16 मई 2017

क्रमांक 649/486/2017/13/1.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री एच. टोप्पो, कार्यपालन अभियंता (वि.सु.) एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक, संभाग रायपुर को उनके वर्तमान प्रभार के साथ-साथ अधीक्षण अभियंता (वि.सु.) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक का अतिरिक्त चालू प्रभार आगामी आदेश तक सौंपता है.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तीरथ प्रसाद लड़िया, अवर सचिव.

वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 27 मई 2017

क्रमांक एफ 7-7/2001/10-2.—छत्तीसगढ़ अभिवहन (वनोपज) नियम 2001 के नियम 3 के परन्तुक के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा किसी व्यक्ति के स्वामित्व की वनोपज की निम्नलिखित प्रजातियों को, जो नीचे सारणी में दर्शित है, उक्त नियमों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करती है. तदानुसार छत्तीसगढ़ अभिवहन (वनोपज) नियम 2001 में निम्नानुसार संशोधन करती है :—

संशोधन

उक्त नियमों में—

1. नियम 4 के उप नियम (ख), खंड 01 के सरल क्रमांक (आठ) में नीलगिरी (यूकेलिप्टस) प्रजातियां के पश्चात् निम्नलिखित प्रजातियां सरल क्रमांक (नौ) से सरल क्रमांक (तेईस) तक जोड़ा जाए.—

स.क्र. (1)	प्रजाति का नाम (2)	वैज्ञानिक नाम (3)
नौ	सिरिस	अल्बीजिया प्रजातियां
दस	रिमझा	अकेशिया ल्यूकोफ्लोइया
ग्यारह	बांस-07 जिलों में-1. सरगुजा, 2. जशपुर, 3. जांजगीर-चांपा, 4. कोरबा, 5. धमतरी, 6. कवर्धा एवं 7. महासमुन्द.	बेम्बू
बारह	रबर	फाईकस इलास्टिका
तेरह	शंकुधारी प्रजातियां (पाईन प्रजातियों को छोड़कर)	शंकुधारी प्रजातियां (चीड़, कैल, देवदार)
चौदह	आस्ट्रेलियन बबूल	एकेशिया ऑरिकुलीफारसिस
पंद्रह	केसिया साइमिया	केसिया साइमिया
सोलह	बकैन	मेलिया अजाडिरे
सत्रह	ग्लेरिसीडिया	ग्लेरिसीडिया प्रजाति
अठारह	खमेर	मेलाईना आरबोरिया
उन्नीस	कदम्ब	एन्थोसेफेलस कदम्बा
बीस	सिस्सू	डलबर्जिया सिस्सू
इक्कीस	कपोक	सीबा पेन्टेन्ड्रा
बाईस	महारूख	ऐलेन्थस एक्सेल्सा
तेईस	सिल्वर ओक	ग्रेवेलिया रोबस्टा

2. नियम 4 के उपनियम (ख) के खण्ड (2) के उपखण्ड (क) के अनुक्रमांक (दो), (सात) एवं (नौ) को विलोपित किया जाये.

F No. 7-7/2001/10-2.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of proviso to rule 3 of the Chhattisgarh Transit (Forest Produce) Rules, 2001, the State Government hereby, exempts the following species of forest produce owned by any person, from the operation of the said rules, and accordingly hereby makes the following amendment in Chhattisgarh Transit (Forest Produce) Rule 2001.

AMENDMENT

In the said rules.—

I. After the Nilgiri (Eucalyptus) in the serial number (viii) of the clause (1) of the sub rule (B) of the rule 4, the following species serial from (ix) to (xxxii) shall be inserted.

S. No. (1)	Name of Species (2)	Scientific Name (3)
ix	Siris	Albizzia Sps.
x	Reunjha	Acacia leucophloea

(1)	(2)	(3)
xi	Bamboo in 07 Districts—(1) Surguja, (2) Jashpur (3) Janjgir-Champa, (4) Korba, (5) Dhamtari (6) Kawardha and (7) Mahasamund.	Bamboo
xii	Rubber	Ficus Elastica
xiii	Conifers (Except Pine sp.)	Coniferous Species (Kail, Deodar)
xiv	Austrlian Babul	Acacia Auriculiformis
xv	Cassia Siamea	Cassia Siamea
xvi	Bakain	Melia Azadirach
xvii	Gliricidea	Gliricidea Species
xviii	Khamer	Gmelina Arborea
xix	Kadamba	Anthocephalus Kadamba
xx	Sissoo	Dalbergia Sissoo
xxi	Kapok	Ceiba Pentandra
xxii	Maharukh	Ailanthus Exelsa
xxiii	Silver oak	Grevillea Robusta

2. Serial number (ii), (vii) and (ix) of sub clause (a) of clause 2 of sub rule (B) of rule 4, shall be deleted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ला, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 19 मई 2017

क्रमांक एफ 1-04/2017/10-भा.व.से..—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री सुकृत लाल साव, भा. व. से. (1998) द्वारा ऐच्छिक सेवा निवृत्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 16-05-2017 के प्रकाश में अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवा निवृत्त प्रसुविधाएं) नियम, 1958 के नियम-16 (2) के परन्तु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्धारित 90 दिवस की कालावधि में छूट प्रदान कर उन्हें अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने के पूर्व दिनांक 16-05-2017 (अपरान्ह) से सेवानिवृत्त करता है.

नया रायपुर, दिनांक 29 मई 2017

क्रमांक एफ 1-11/2016/10-भा.व.से..—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री शिरीष चन्द्र अग्रवाल, भा.व.से. (1983) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक को प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति प्रदान करता है. श्री अग्रवाल को भारतीय वन सेवा (वेतन) नियम, 2016 के अनुसूचि-III के वेतन मेट्रिक्स के लेबल 16, 205400-224400, में नियमानुसार देय वेतन की पात्रता होगी.

2. श्री शिरीष चन्द्र अग्रवाल, भा.व.से. (1983) प्रभारी प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य वन विकास निगम लि., रायपुर को उपरोक्तानुसार प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद पर पदोन्नत किये जाने के फलस्वरूप प्रधान मुख्य वन संरक्षक (औषधीय पौधे एवं परंपरागत वानिकी ज्ञान) तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. राज्य वनौषधि पादक बोर्ड, रायपुर के पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है.

3. श्री मुदित कुमार सिंह, भा.व.से. (1984) प्रधान मुख्य वन संरक्षक को प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर के पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है.

4. श्री राजेश कुमार गोवर्धन, भा.व.से. (1986) अपर प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर को प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य वन विकास निगम लि., रायपुर का प्रभार अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, विशेष सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 16 मई 2017

क्रमांक 4545/1490/21-ब/छ.ग./2017.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 22-06-2016 द्वारा लागू की गई स्थायी लोक अदालत (अध्यक्ष और अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति के निबंधन एवं शर्तें) नियम, 2016 द्वारा अधिनियम में किये गये संशोधन के फलस्वरूप बैठक फीस एवं वाहन भत्ता में किये गये वृद्धि के फलस्वरूप संशोधित दरें राज्य के लोक अदालतों में लागू करने की सहमति प्रदान की जाती है.

यह सहमति वित्त विभाग के क्रमांक एफ-2017-21-01223/ब-3/चार दिनांक 03-05-2017 द्वारा प्रदान की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रविशंकर शर्मा, प्रमुख सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 22 मई 2017

क्रमांक 4669/1517/21-ब/छ.ग./2017.—राज्य शासन एतद्द्वारा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसार विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.) के लिये उक्त अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत श्री छेदीलाल यादव, अधिवक्ता को श्री धन सिंह सोलंकी, विशेष लोक अभियोजक (Actrocity) के स्थान पर उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से 01 वर्ष की परिवीक्षा पर या 62 वर्ष जो भी पहले हो के लिए विशेष लोक अभियोजक (Actrocity) नियुक्त करता है. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ..ग. विधि विभाग मेन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी. नियुक्त विशेष लोक अभियोजक को शुल्क आदि का भुगतान विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 7492/डी-2655/21-ब/छ.ग./2012 दिनांक 18-09-12 एवं 8910/3016/21-ब/छ.ग./2012 दिनांक 20-11-2012 के अनुरूप देय होगा.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या-64-2014-न्याय प्रशासन, 103-विशेष न्यायालय, 0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जाति उपयोजना, 5171-विशेष न्यायालयों की स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों के शुल्क के अंतर्गत प्रभारित किया जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 8 जून 2017

क्रमांक 5368/809 PS Law/21-ब/छ.ग./2017.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, खैरागढ़ जिला राजनांदगांव के पद पर नियुक्त श्री अनुज देवांगन, अधिवक्ता जिला-राजनांदगांव (छ.ग.) को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए दिनांक 14-07-2015 से तीन वर्ष की कालावधि या 62 वर्ष जो भी पहले हो, के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक नियुक्त करता है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 02 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उसी अवधि के लिए उन्हें अतिरिक्त लोक अभियोजक भी नियुक्त करता है. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार होता, अतिरिक्त सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 29 मई 2017

क्रमांक एफ 1-11/2010/मबावि/50 (पार्ट).—श्रीमती शताब्दी सुबोध पाण्डे, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का कार्यकाल दिनांक 29-05-2017 को पूर्ण होने के फलस्वरूप अध्यक्ष का पद रिक्त हो रहा है. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियम-2009 की धारा-7 (4) में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मा. सदस्य डॉ. सिमी श्रीवास्तव आयोग के अध्यक्ष पद पर नवीन नियुक्ति होने तक कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में पदीय दायित्वों का निर्वहन करेंगी.

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. तिवारी, अवर सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 15 मई 2017

क्रमांक एफ 01-49/2013/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा डॉ. आनंद छाबड़ा, (भापुसे-2001), उप पुलिस महानिरीक्षक, वि.आ. शा., पुलिस मुख्यालय, नया रायपुर को दिनांक 29-05-2017 से दिनांक 06-06-2017 (कुल 09 दिवस) तक का अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करते हुए दिनांक 28-05-2017 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर डॉ. छाबड़ा, आगामी आदेश तक, उप पुलिस महानिरीक्षक, वि. आ. शा., पुलिस मुख्यालय, नया रायपुर , के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में डॉ. छाबड़ा को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. आनंद छाबड़ा (भापुसे) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. डॉ. आनंद छाबड़ा (भापुसे-2001), उप पुलिस महानिरीक्षक, वि. आ. शा. के उक्त अवकाश अवधि में उप पुलिस महानिरीक्षक , वि. आ. शा. के कार्य की व्यवस्था पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़ द्वारा की जावेगी.

नया रायपुर, दिनांक 16 मई 2017

क्रमांक एफ 07-03/2014/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अजय कुमार यादव, (भापुसे-2004), पुलिस अधीक्षक, जांजगीर-चांपा को दिनांक 22-05-2017 से दिनांक 08-06-2017 (कुल 18 दिवस) तक का अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करते हुए दिनांक 20-05-2017, 21-05-2017 एवं दिनांक 09-06-2017, 10-06-2017 तथा 11-06-2017 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री यादव, आगामी आदेश तक, पुलिस अधीक्षक, जांजगीर-चांपा के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री यादव को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजय कुमार यादव (भापुसे) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री अजय कुमार यादव (भापुसे-2004) पुलिस अधीक्षक, जांजगीर-चांपा के उक्त अवकाश अवधि में पुलिस अधीक्षक, जांजगीर-चांपा का चालू प्रभार श्री एच. आर. मनहर, भापुसे, सेनानी, 2री वाहिनी, छसबल, सकरी बिलासपुर (छ.ग.) को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. डी. कुन्दानी, अवर सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 27 मई 2017

क्रमांक एफ 3-28/2016/गृह-दो.—राज्य शासन एतद्द्वारा भारत सरकार गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश क्रं. 16011/10/2011-PF-IV दिनांक 10-02-2016 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के लिए स्वीकृत नवीन 04 विशेष भारत रक्षित वाहिनी का नाम एवं मुख्यालय निम्नानुसार घोषित करता है.

क्र.	प्रस्तावित भारत रक्षित वाहिनी का नाम	प्रस्तावित मुख्यालय का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	19वीं भा./र. वाहिनी छ.स.बल	ग्राम-करणपुर, तह.-जगदलपुर, जिला-बस्तर
2.	20वीं भा./र. वाहिनी छ.स. बल	ग्राम-परसदा, जिला-महासमुन्द
3.	21वीं भा./र. वाहिनी छ.स. बल	ग्राम-करकाभाट, जिला-बालोद
4.	22वीं भा./र. वाहिनी छ.स. बल	ग्राम-भीरावाही, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी.बी.शर्मा, अवर सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 2 जून 2017

क्रमांक एफ 20-47/2013/11/(6).—चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन एतद् द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 15-03-2015 द्वारा जारी "छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम-2015" में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :—

संशोधन

(एक) उक्त अधिसूचना के अध्याय-2 में पैरा-2 के उप पैरा-9 में कंडिका 2.9.3 के स्थान पर निम्नलिखित कंडिका स्थापित किया जाये अर्थात् :—

2.9.3— आवंटन आदेश की शर्तो की पूर्ति करने के साथ 30 दिवसों के भीतर आवेदक को निर्धारित प्रारूप में लीजडीड निष्पादित कर 7 दिवस में पंजीकृत करानी होगी. समयावधि में लीजडीड निष्पादित एवं पंजीकृत न करने पर आबंटी को तीस दिवसीय कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जायेगा. उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र की अवधि समाप्त होने के 10 दिवस पश्चात् में भी इसका समाधान न होने पर आवंटन आदेश निरस्त किया जा सकेगा. आवंटी इकाई निष्पादित पट्टाभिलेख पंजीयन उपरांत उसकी पंजीयनकर्त्ता अधिकारी द्वारा जारी अभिप्रमाणित प्रति आवंटन प्राधिकारी के पास जमा करेगा तथा मूल प्रति अपने पास रख सकेगा.

(दो) उक्त अधिसूचना के अध्याय-3 में पैरा-3 के उप पैरा-4 की कंडिका-1 की उप कंडिका-2 (ब) के अंत में निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाये अर्थात् :—

3.4.1.2 (ब)— परंतु यह भी कि औद्योगिक क्षेत्रों में भू-खण्ड/भवन/शेड/प्रकोष्ठ आवंटन के सभी वैध प्रकरणों में, उक्तानुसार हस्तांतरण की अनुमति के लिए मूल आबंटी/मूल आबंटियों द्वारा पूर्व में जमा किये गये नामांकन में परिवर्तन अथवा नये नामांकन हेतु जानकारी शपथ-पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप में संबंधित पट्टाग्रहिता के कार्यालय में जमा करनी होगी. नवीन नामांकन अथवा नामांकन में संशोधन का उक्त आवेदन, प्रत्येक बार, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के मामले में रुपये 1000/- (रुपये एक हजार), मध्यम उद्योगों के मामले में रुपये 2000/- (रुपये दो हजार), वृहद/मेगा/अल्ट्रा मेगा उद्योगों के मामले में रुपये 5000/- (रुपये पांच हजार) का शुल्क जमा करने के उपरांत ही वैध माना जायेगा. प्रत्येक नामांकन के अनुरोध पर परीक्षण उपरांत आवंटन अधिकारी द्वारा स्वीकृति पत्र जारी करने उपरांत ही नामांकन मान्य माना जाएगा.

(तीन) उक्त अधिसूचना के अध्याय-3 में पैरा-3 के उप पैरा-4 की कंडिका-2 की उप कंडिका-4 के अंत में निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाये अर्थात् :—

3.4.2.4 परंतु छत्तीसगढ़ बंद/बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नियम 2016 के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय समिति एवं राज्य स्तरीय समिति द्वारा बंद/बीमार उद्योग के संदर्भ में लिए गए निर्णय उपरांत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र धारित करने वाले बंद उद्योंगों/बीमार उद्योगों से हस्तांतरण शुल्क के रूप में तद्समय प्रचलित भू-प्रब्याजी की 5 (पांच) प्रतिशत राशि देय होगी.

(चार) उक्त अधिसूचना के अध्याय-3 में पैरा-3 के उप पैरा-5 के अंत में निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाये अर्थात :—

3.5 परंतु भारत सरकार से अधिसूचित विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र (SEZ) के प्रकरणों में डेव्हलपर को विकास आयुक्त, विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र (SEZ) की अनुमति से पट्टे पर प्राप्त भूमि को विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र (SEZ) में उद्योग की स्थापना के लिये लाइसेंस/उप-पट्टा पर देने की अनुमति होगी. लाइसेंस/उप-पट्टा की शर्तों का निर्धारण संचालक उद्योग अथवा प्रबंध संचालक सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा शासन की अनुमति से किया जायेगा.

लाइसेंस/उप-पट्टा पर आबंटन के प्रकरणों में विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र (SEZ) के डेव्हलपर एवं विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र (SEZ) में उद्योग स्थापना के लिये इच्छुक निवेशक के मध्य द्विपक्षीय समझौता हस्ताक्षरित किया जाना होगा. इसकी शर्तों में यह उल्लेख किया जाना होगा कि मूल लीज डीड धारक पर लागू सभी शर्तें (उत्तरवर्ती लाइसेंस/उप पट्टा पुन: नहीं देने की शर्त के साथ) लाइसेंस/उप पट्टा धारक पर लागू होगी तथा लाइसेंस/उप पट्टा पर आवंटित भूमि पर शासन का अधिकार अंतिम होगा. अभिहस्तांकन के मामलों में ऐसी भूमि की नीलामी नहीं की जा सकेगी. विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र (SEZ) का डेव्हलपर उसके द्वारा निष्पादित प्रत्येक लाइसेंस/उप-पट्टे के प्रमाणित दस्तावेज रुपये 1000/- प्रति लाइसेंस/उप पट्टा, शुल्क के साथ संचालक उद्योग अथवा प्रबंध संचालक सी.एस.आई.डी.सी., जैसी भी स्थिति हो, के पास जमा करायेगा. उक्त शुल्क के साथ निष्पादित प्रत्येक लाइसेंस/उप-पट्टे के प्रमाणित दस्तावेज जमा न कराने पर इसे लीजडीड का उल्लंघन मानते हुए डेव्हलपर के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी.

परन्तु लाइसेंस/उप-पट्टा धारित करने वाली इकाई का लाइसेंस/उप पट्टा अन्य इकाई को डेव्हलपर द्वारा हस्तांरित करने के विकास आयुक्त, विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र (SEZ) की अनुमति आवश्यक होगी.

ये संशोधन इस अधिसूचना के जारी होने की दिनांक से प्रवृत्त हुये समझे जायेंगे.

नया रायपुर, दिनांक 6 जून 2017

क्रमांक एफ 4-12/2004/11/6.—भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 (क्र. 9 सन् 1932) की धारा 58, 58(4), 60, 61, 62, 63, 64 के शुल्क में संशोधन हेतु उक्त अधिनियम की धारा 71 की उपधारा (3) से अपेक्षित अनुसार पूर्व में छत्तीसगढ़ राजपत्र, भाग-1, दिनांक 1 जुलाई 2016 में प्रकाशित किया जा चुका है और उसके संदर्भ में कोई अभ्यावेदन अथवा आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है;

यत: भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (क्र. 9 सन् 1932) की धारा 71 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते

हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 58, 58(4), 60, 61, 62, 63, 64 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932, (क्र. 9 सन् 1932) की धारा 58, 58(4), 60, 61, 62, 63, 64 के शुल्क को संशोधित कर अधिकतम शुल्क निम्नवत् उद्गृहीत होंगे :—

क्र.	दस्तावेज या कार्य जिसके संबंध में शुल्क देय है	संशोधित शुल्क
1.	धारा 58 के अधीन कथन	640/- रुपये
2.	धारा 58 (4) के अधीन अपील ज्ञापन	275/- रुपये
3.	धारा 60 के अधीन कथन	128/- रुपये
4.	धारा 61 के अधीन प्रज्ञापना	128/- रुपये
5.	धारा 62 के अधीन प्रज्ञापना	65/- रुपये
6.	धारा 63 के अधीन सूचना	128/- रुपये
7.	धारा 64 के अधीन आवेदन	65/- रुपये

टीप :—

(1) शुल्क में उपरोक्त वृद्धि इस अधिसूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी.

(2) प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात् उपरोक्त उल्लिखित दरों में 5 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी जिसे निकटतम रुपये में पूर्णांकित कर प्रभावी मानी जायेगी.

No. F 4-12/2004/11/6.—A draft proposal was published in Chhattisgarh Gazette part-1 on dated 1st July 2016 under sub-section on (3) of Section 71 of the Indian Partnership Act 1932 (No. 9 of 1932) desiring amendment in Section 58, 58(4), 60, 61, 62, 63 and 64 of the Indian Partnership Act 1932 (No. 9 of 1932) , in reference to which no application or objections are received.

Hence, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 71 of the Indian Partnership Act, 1932 (No. 9 of 1932) the State Government, hereby makes the following amendment in Section 58, 58(4), 60,61,62,63 and 64 of the above Rules, namely :—

AMENDMENT

Following amended maximum fee shall be imposed in place of fees mentioned in section 58, 58(4), 60, 61, 62, 63 and 64 of Indian Partnership Act, 1932 (No. 9 of 1932).

S.No.	Docmument or work for which fee is to be paid	Amended Fee (in Rupees)
1.	Statement under Section 58	640/-
2.	Appeal Memo Under Section 58(4)	275/-
3.	Statement Under Section 60	128/-
4.	Intimation Under Section 61	128/-
5.	Intimation Under Section 62	65/-
6.	Information Under Section 63	128/-
7.	Application Under Section 64	65/-

Note :—

(1) The above increased fees shall come in to force from the date of its notification in the official Gazette.

(2) There shall be 5% increase on the above specified fee after every two years, which will be rounded off to nearest rupee.

Naya Raipur, the 6th June 2016

No. F 4-12/2004/11/6.—A draft proposal was published in Chhattisgarh Gazette part-1 on dated 1st July 2016 under sub-section on (3) of Section 71 of the Indian Partnership Act 1932 (No. 9 of 1932) desiring amendment in sub-rule (one) of rule 19 of the Chhattisgarh Partnership (Registration of Firms) Rules 1951, in reference to which no application or objections are received.

Hence, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 71 of the Indian Partnership Act, 1932 (No. 9 of 1932) the State Government, hereby makes the following amendment in the above Rules, namely :—

AMENDMENT

Following amended maximum fee shall be imposed in place of fees mentioned in sub-rule (1) of rule 19 of the Chhattisgarh Partnership (Registration of Firms) Rules 1951 :—

S.No.	Decument or work for which fee is to be paid	Amended Fee (in Rupees)
1.	Inspection of register of firms under sub-section (1) of Section 66.	32/-
2.	Inspection of documents related to firms under sub-section (2) of Section 66.	15/-
3.	For every 100 words or part there of from register of firms under Section 67.	16/-

Note : —

(1) The above increased fees shall come in to force from the date of its notification in the official Gazette.

(2) There shall be 5% increase on the above specified fee after every two years, which will be rounded off to nearest rupee.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. छबलानी, विशेष सचिव.

वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 11 मई 2017

क्रमांक एफ 1-32/2015/स्था/चार.—राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा वर्ष-2015 तथा साक्षात्कार के परिणाम के आधार पर स्थानीय निधि संपरीक्षा वित्त विभाग के अंतर्गत सहायक संचालक के पद पर नियुक्ति के लिए अनुशंसित किए गए निम्नांकित अभ्यर्थी को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, दो वर्ष की परिवीक्षा पर पुनरीक्षित वेतन बैण्ड रुपये 15600-39100 ग्रेड वेतन रुपये 5400/- में अनन्तिम (Provisional) रूप से कंडिका 2.1 से 2.11 में उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्त करता है :—

स. क्र.	लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा का मुख्य सूची का सरल क्र.	नाम पिता/पति का नाम एवं स्थायी पता	चयन का वर्ग
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	1	श्री जितेन्द्र कुमार पैंकरा, पिता-श्री सिविल सर्जन पैंकरा, ग्राम-टेड़गा (लम्बीडांड़), पो.-बिलासपुर, तह.+थाना-बतौली, जिला-सरगुजा (छ.ग.)	अनुसूचित जनजाति

2. 2.1 यह नियुक्ति पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) है.

2.2 परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षावधि में ऐसा प्रशिक्षण ग्रहण करना होगा तथा ऐसी विभागीय परीक्षा अपेक्षित स्तर से उत्तीर्ण करना होगी जो शासन द्वारा निर्धारित की जाये.

2.3 शासकीय सेवा के दौरान शासकीय सेवक छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 एवं छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा (राजपत्रित) सेवा भरती नियम, 1991 के अंतर्गत शासित होगा.

2.4 उपरोक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति राज्य या संभागीय "मेडिकल बोर्ड" से चिकित्सीय योग्यता प्रमाण-पत्र (मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट) प्राप्त करने की अपेक्षा में की जाती है. अतः अभ्यर्थी राज्य या संभागीय मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट तत्काल विभाग में प्रस्तुत करेंगे. बिना चिकित्सा योग्यता प्रमाण-पत्र के वेतन आहरण नहीं किया जायेगा, तथा कार्य की गयी अवधि का कोई वेतन देय नहीं होगा. "मेडिकल बोर्ड" द्वारा अयोग्य पाये जाने की दशा में अभ्यर्थी की सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जावेगी.

2.5 उपरोक्त अभ्यर्थी को संबंधित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के समय संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा, नया रायपुर अधिकारी के समक्ष स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र तथा शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण-पत्र की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. अभ्यर्थी द्वारा आयोग को नियुक्ति के पूर्व दी गयी कोई भी जानकारी/प्रमाण-पत्र गलत पाये जाने पर उसे बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी.

2.6 प्रमाण-पत्रों के पूर्ण सत्यापन के उपरान्त ही संबंधित कर्मचारी की नियुक्ति को अंतिम रूप से मान्य किये जाने पर विचार किया जायेगा.

2.7 चयनित अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व एक बांड शासन के पक्ष में निष्पादित करना आवश्यक होगा कि परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण न कर पाने की दशा में, परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा उस पर खर्च की गयी राशि की वसूली की जाएगी जिसमें वेतन भत्ते एवं यात्रा देयक भी शामिल होगा.

2.8 चयनित आवेदक की परस्पर वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गयी चयन सूची के अनुसार ही निर्धारित रहेगी.

2.9 यह नियुक्ति पूर्णतः अनंतिम है तथा बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते देकर सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी. इसी प्रकार संबंधित अधिकारी द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते जमा कराकर सेवा से त्यागपत्र दिया जा सकेगा.

2.10 प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पद पर नियुक्ति के संबंध में आरक्षण नियमों एवं आदेशों का पालन किया गया है.

2.11 अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथाः जाति प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक योग्यता एवं अनुप्रमाणन फार्म में दी गई जानकारी के सत्य होने के विषय, एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सिंह, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 30 मई 2017

क्रमांक एफ 1-27/2015/स्था/चार.—राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा मुख्य परीक्षा वर्ष-2015 तथा साक्षात्कार के परिणाम के आधार पर वित्त विभाग में छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा (लेखाधिकारी) के पद पर नियुक्ति के लिए अनुशंसित किए गए निम्नांकित अभ्यर्थियों को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, दो वर्ष की परिवीक्षा पर छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा (लेखाधिकारी) के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैण्ड रुपये 15600-39100 ग्रेड वेतन रुपये 5400/- में अनन्तिम

(Provisional) रूप से कंडिका 2.1 से 2.13 में उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्त करता है :—

स. क्र.	लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य लेखा सेवा लेखाधिकारी का मुख्य सूची का सरल क्र.	नाम पिता/पति का नाम एवं स्थायी पता	चयन का वर्ग
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	8	श्री भूपेन्द्र सिंह, पिता-स्व. चन्द्रभान सिंह पता-द्वारा-चन्द्रभान सिंह, 27 खोली, विकास नगर, ज्योति किराना स्टोर के पास, बिलासुपर (छत्तीसगढ़).	अनारक्षित
2.	15	श्री लॉरेन्स कुमार, पिता- श्री नीलकंठ बघेल पता-ग्राम-थनौद, पोस्ट-थनौद, पोस्ट ऑफिस-अंजोरा, जिला-दुर्ग (छत्तीसगढ़).	अनुसूचित जाति

2. 2.1 यह नियुक्ति पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) है.

2.2 (अ) आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा उसकी जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन स्वतः छानबीन समिति से करवाकर दो माह के भीतर इस विभाग को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी और यदि उक्त नियत अवधि में अभ्यर्थी छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है अथवा छानबीन समिति द्वारा सत्यापन के उपरान्त उसका जाति प्रमाण पत्र फर्जी/गलत पाया जाता है, तो बिना कोई कारण बताए पूर्वाग्रह के बिना इस विभाग द्वारा उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत यथोचित कार्यवाही भी की जा सकेगी.

(ब) आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों का यह दायित्व होगा कि वह छानबीन समिति द्वारा चाहे गए सभी आवश्यक दस्तावेज/रिकार्ड एवं जानकारियां अपने जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु छानबीन समिति को उपलब्ध करायेगा.

(स) विकलांग श्रेणी के अभ्यर्थी के संबंध में उनके विकलांगता प्रमाण-पत्र का सत्यापन अनिवार्य रूप से कराया जाकर प्रस्तुत किया जाए.

2.3 परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षावधि में संचालनालय द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा भाग-1 एवं भाग-2 निर्धारित अवधि में उत्तीर्ण करना होगा ताकि परिवीक्षाधीन अवधि समाप्ति के पश्चात् पदांकन संबंधी आगामी कार्यवाही संचालित की जावेगी.

2.4 अभ्यर्थियों के निर्धारित मापदण्ड अनुसार आचरण व चरित्र का पुलिस सत्यापन भी कराया जायेगा. पुलिस सत्यापन में अधिकारी को सेवा के लिए अनुपयुक्त पाये जाने पर नियुक्ति प्राधिकारी के विचार में यदि उनका उपयुक्त शासकीय सेवक बनना संभव न होना पाया जायेगा तो, उसकी सेवाएं नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त की जा सकेगी.

2.5 शासकीय सेवा के दौरान अधिकारी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961, छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 एवं छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा (राजपत्रित) नियम, 2013 से शासित होंगे.

2.6 उपरोक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति राज्य या संभागीय "मेडिकल बोर्ड" से चिकित्सीय योग्यता प्रमाण पत्र (मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट) प्राप्त करने की अपेक्षा में की जाती है. अतः अभ्यर्थीगण राज्य या संभागीय मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट तत्काल विभाग में प्रस्तुत करेंगे. बिना चिकित्सा योग्यता प्रमाण पत्र के वेतन आहरण नहीं किया जायेगा, तथा कार्य की गयी अवधि का कोई वेतन देय नहीं होगा. "मेडिकल बोर्ड" द्वारा अयोग्य पाये जाने की दशा में अभ्यर्थी की सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जावेगी.

2.7 उपरोक्त अभ्यर्थियों को संबंधित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के समय संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ नया रायपुर अधिकारी के समक्ष (स्थानीय) निवासी प्रमाण पत्र तथा शैक्षण्कि अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र की मूल प्रतियां

सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. अभ्यर्थियों द्वारा आयोग को नियुक्ति के पूर्व दी गयी कोई भी जानकारी/प्रमाण पत्र गलत पाये जाने पर उसे बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी.

2.8 जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र के पूर्ण सत्यापन के उपरान्त ही संबंधित कर्मचारी की नियुक्ति को अंतिम रूप से मान्य किये जाने पर विचार किया जायेगा.

2.9 चयनित अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व एक बांड शासन के पक्ष में निष्पादित करना भी आवश्यक होगा कि वह परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण न कर पाने की दशा में परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा उस पर खर्च की गयी राशि की वसूली की जाएगी जिसमें वेतन भत्ते एवं यात्रा देयक भी शामिल होगा.

2.10 चयनित आवेदकों की परस्पर वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गयी चयन सूची के अनुसार ही निर्धारित रहेगी.

2.11 यह नियुक्ति पूर्णत: अनंतिम है तथा बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते देकर सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी. इसी प्रकार संबंधित अधिकारी द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते जमा कराकर सेवा से त्यागपत्र दिया जा सकेगा.

2.12 प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पद पर नियुक्ति के संबंध में आरक्षण नियमों एवं आदेशों का पालन किया गया है.

2.13 उपरोक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर पदभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रेमा गुलाब एक्का, अवर सचिव.

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 8 जून 2017

क्रमांक एफ 6-8/2017/वा.कर./पांच.—राज्य शासन एतद्द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों को सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद से वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रुपये 15600-39100+ग्रेड वेतन रुपये 5400 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत करते हुए उन्हें, उनके नाम के सामने कॉलम 3 में दर्शाये स्थान पर अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक पदस्थ करता है :—

स. क्र.	अधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापना	पदोन्नति उपरांत नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1.	श्री रेशम लाल कुर्रे, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, जगदलपुर वृत्त-2.	अतिरिक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी, रायपुर वृत्त-1
2.	श्री कन्हैया लाल नवरत्न, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, जांजगीर वृत्त.	अतिरिक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी, रायपुर वृत्त-2
3.	श्री केरोविन एक्का, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, बिलासपुर वृत्त-1.	अतिरिक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी, बिलासपुर वृत्त-3

(1)	(2)	(3)
4.	श्री तुलाराम पड़ोती, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, धमतरी वृत्त.	अतिरिक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी, रायपुर वृत्त-4
5.	श्री मदन राम बड़ा, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, कोरिया वृत्त.	अतिरिक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी, रायपुर वृत्त-5
6.	श्री महेश सिंह ठाकुर, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, रायपुर वृत्त-3.	अतिरिक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी, रायपुर वृत्त-6
7.	श्री अरविंद पांडे, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उपायुक्त प्रवर्तन, रायपुर.	वाणिज्यिक कर अधिकारी उपायुक्त, प्रवर्तन, रायपुर
8.	श्री संदीप यदु, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, जगदलपुर वृत्त-1.	अतिरिक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी, रायपुर वृत्त-3
9.	श्री सदाराम सोनकर, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, दुर्ग वृत्त-3.	अतिरिक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी, दुर्ग वृत्त-1
10.	श्री दिलीप वर्मा, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, राजनांदगांव वृत्त-2.	अतिरिक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी, दुर्ग वृत्त-2
11.	श्री गोपाल सिंह कोरेटी, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, जगदलपुर वृत्त-2.	अतिरिक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी, महासमुंद वृत्त
12.	श्री सी. खलखो, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, रायगढ़ वृत्त-2.	अतिरिक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी, कोरिया वृत्त
13.	श्री अशोक कुमार तिवारी, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, रायपुर वृत्त-2.	अतिरिक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी, कार्यालय संभागीय उपायुक्त, रायपुर, संभाग-1.
14.	श्रीमती रूत शालिनी मसीह, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, बिलासपुर वृत्त-2.	अतिरिक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी, कार्यालय संभागीय उपायुक्त बिलासपुर, संभाग-1.

2. प्रमाणित किया जाता है उपरोक्त पदोन्नतियों में "छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003" की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-2/2003/1-3, दिनांक 26-11-2012 द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की स्थिति के संबंध में जारी किये गए रोस्टर तथा अन्य पूरक निर्देशों के अनुसार आरक्षण का पालन किया गया है.

3. उपरोक्त अधिकारियों की वरिष्ठता मूल संवर्ग में वरिष्ठता क्रम अनुसार ही रहेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मरियानुस तिग्गा, अवर सचिव.

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 8 जून 2017

क्रमांक 4121/10034/2016/18.—श्री अजय कुमार अग्रवाल, आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा को दिनांक 14-06-2017 से 23-06-2017 तक (10 दिवस) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अग्रवाल आगामी आदेश तक नगर पालिक निगम, कोरबा में आयुक्त के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री अग्रवाल को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 12 जून 2017

क्रमांक एफ 5-12/2017/18.—छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 355 की उप-धारा (1) सहपठित धारा 108 की उप-धारा (4) तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 433 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा राज्य में नगरीय निकायों द्वारा संधारित की जाने वाली नगद सिलक (केश बैलेन्स) के संबंध में में निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.—**

(1) ये नियम छत्तीसगढ़ नगरपालिक (स्थानीय नगरीय निकाय द्वारा संधारित की जाने वाली नगद सिलक) नियम, 2017 कहलायेंगे.

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं.—**

(1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है नगरपालिक निगमों की स्थिति में, छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) तथा नगर पालिका और नगर पंचायतों की स्थिति में, छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961);

(ख) "स्थानीय नगरीय निकाय" से अभिप्रेत है संदर्भ के अनुसार, नगरपालिक निगम, नगरपालिका अथवा नगर पंचायत.

(2) शब्द और अभिव्यक्तियां जो इसमें प्रयुक्त है किन्तु परिभाषित नहीं है, के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो कि अधिनियम में उनके लिये समनुदेशित हैं.

3. **स्थानीय नगरीय निकायों द्वारा संधारित की जाने वाली नगद सिलक.—** लघु एवं अत्यावश्यक खर्चों की पूर्ति के लिए, स्थानीय नगरीय निकाय के कार्यालय में निम्नानुसार नगद सिलक (कैश बैलेंस) संधारित की जायेगी :—

स. क्र.	स्थानीय नगरीय निकाय का प्रकार	कार्यालय में संधारित की जाने वाली नगद सिलक	
		न्यूनतम	अधिकतम
(1)	(2)	(3)	(4)
(1)	नगर पालिक निगम	रु. 40,000/-	रु. 50,000/-
(2)	नगर पालिका	रु. 20,000/-	रु. 30,000/-
(3)	नगर पंचायत	रु. 10,000/-	रु. 15,000/-

4. **निरसन तथा व्यावृत्ति.—**

(1) इन नियमों के प्रारंभ होने की तिथि से "परिषद् द्वारा रखी जाने वाली न्यूनतम नगद सिलक (कैश बैलेंस) संबंधी नियम" निरसित हो जायेगा:

परन्तु यह कि इस प्रकार निरसित किये गये नियमों के उपबंधों के अधीन पारित कोई आदेश या की गई कार्यवाही, इन नियमों के अधीन पारित या की गई समझी जायेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 12 जून 2017

क्रमांक एफ 5-12/2017/18.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-12/2017/18 दिनांक 05-08-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 12th June 2017

No. F 5-12/2017/18.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 355 read with sub-section (4) of section 108 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) and sub-section (1) of Section 433 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956), the State Government, make the following rules in respect of cash balance to be maintained by the municipal bodies in the State, namely :—

RULES

1. **Short Title and Commencement.—**

(1) These rules may be called the Chhattisgarh Municipal (Cash Balance to be Maintained by Urban Local Bodies) Rules 2017.

(2) These rules shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.—**

(1) In these rules, unless context otherwise req ires,—

(a) "Act" shall mean, in the case of municipal corporations, the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and, in the case of municipalities and nagar Panchayats, the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961).

(b) "Urban Local Body" shall mean, according to the context, Municipal Corporation, Municipality or Nagar Panchayat.

(2) Words and expressions used herein but not defined shall have the same meaning as respectively assigned to them in the Act.

3. **Cash Balance to be maintained by the Urban Local Bodies.—** For meeting small and urgent expenses, the offices of the urban local bodies shall maintain cash balances as follows :

Sl. No.	Type of Urban Local Body	Cash Balance to be maintained in office	
		Minimum	Maximum
(1)	(2)	(3)	(4)
(1)	Municipal Corporation	Rs. 40,000/-	Rs. 50,000/-
(2)	Municipality	Rs. 20,000/-	Rs. 30,000/-
(3)	Nagar Panchayat	Rs. 10,000/-	Rs. 15,000/-

4. **Repeal and Savings.—**

(1) From the date of commencement of these rules, "Parishad Dwara Rakhi Jane Wali Nyunatam Nagad Silak (Cash Balance) Sambandhi Niyam" Shall stand repealed;

Provided that any order passed or action taken under the provisions of the rules so repealed shall be deemed to have been passed or taken under these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. EKKA, Joint Secretary.

श्रम विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 16 जून 2017

क्रमांक एफ 10-9/2017/16.—राज्य शासन एतद्द्वारा वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 की धारा 6 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए यह निर्देश करता है कि प्रत्येक कारखाना, औद्योगिक या अन्य स्थापनाओं जिन पर उक्त अधिनियम धारा 1 की उपधारा 4 के अंतर्गत प्रभावशील है एवं जिनके संदर्भ में राज्य शासन उक्त अधिनियम की धारा 2 (i) के अंतर्गत समुचित सरकार है, में नियोजित व्यक्तियों का वेतन भुगतान नियोजक मात्र एकाउंट पेयी चेक अथवा उनके बैंक खाता में अंतरण के द्वारा करेगा.

यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
याकुब खेस्स, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 14 जून 2017

क्रमांक एफ 8-1/2015/16.—छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक एफ 54-03/तीन (दो)/न.पा./अव. कार. श्रमिक/2017/2655, दिनांक 26-05-2017 में उल्लेखित छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ 54-2/तीन(दो)/नपा./समय कार्यक्रम/2017/2618ए, दिनांक 23-05-2017 के अनुसार भारत का संविधान के अनुच्छेद 243यक सहपठित छत्तीसगढ़ नगरपालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 (1) छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32 (1) एवं नगर पालिका निर्वाचन निमय-1994 के नियम 11 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 20 (2) (क) तथा 37 (1) एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम 21 की अपेक्षा अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा नगरपालिकाओं (नगरपालिक निगम, नगर

पालिका परिषद् एवं नगर पंचायत) के अध्यक्ष तथा पार्षद पदों के निर्वाचन की समय अनुसूची (कार्यक्रम) संलग्न परिशिष्ट में अंकित नगरपालिकाओं (नगरपालिक निगम, नगर पलिका परिषद् एवं नगर पंचायत) के उप निर्वाचन हेतु दिनांक 18-06-2017 (रविवार) को मतदान की तिथि निर्धारित है.

2. अत: कारखाना अधिनियम, 1948 तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम-1958 के अतर्गत आने वाले कारखानों/स्थापनाओं में कार्यरत् उन श्रमिक/कर्मचारियों के लिए मतदान के दिन अर्थात 18-06-2017 (रविवार) को राज्य शासन एतद्द्वारा संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में अवकाश घोषित करता है.

3. ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं, वहां प्रथम एवं द्वितीय पॉली के श्रमिकों को मतदान के दिन 02-02 घंटे का अवकाश घोषित किये जाने तथा जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अतर्गत आते हैं, उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा दी जाये.

परिशिष्ट

(उप निर्वाचन) 2017

क्र. (3)	जिला (2)	नगरपालिकाओं के नाम (3)	वार्ड क्रमांक (4)
1.	जांजगीर चांपा	नगर पंचायत अडभार	7
		नगर पंचायत जैजैपुर	अध्यक्ष पद हेतु (वार्ड संख्या 1 से 15) 4
2.	सूरजपुर	नगरपालिका परिषद् सूरजपुर	1
3.	बलरामपुर	नगर पंचायत कुसमी	4
4.	गरियाबंद	नगर पंचायत फिंगेश्वर	15
5.	धमतरी	नगर पंचायत कुरूद	9
6.	दुर्ग	नगर पालिक निगम दुर्ग	44
7.	बालोद	नगर पंचायत चिखलाकसा	1 14 15

नया रायपुर, दिनांक 14 जून 2017

क्रमांक एफ 8-1/2015/16.—छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक एफ 52-03/तीन (एक)-18/पंचा./कार.अव./2017/2652, दिनांक 26-05-2017 में उल्लेखित छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ 37-01/तीन (एक)-3/पंचा.निर्वा./2017/2620, दिनांक 23-05-2017 के अनुसार भारत का संविधान के अनुच्छेद 243-ट सहपठित छ.ग. पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 42 एवं छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा परिशिष्ट-1 में उप चुनाव हेतु उल्लेखित जिलों के जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंचों तथा पंचों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिये छ.ग. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 28 की अपेक्षा अनुसार दिनांक 18-06-2017 (रविवार) को मतदान कराया जायेगा.

2. अतः कारखाना अधिनियम, 1948 तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम–1958 के अंतर्गत आने वाले कारखानों/स्थापनाओं में कार्यरत् उन श्रमिक/कर्मचारियों के लिए मतदान के दिन अर्थात 18–06–2017 (रविवार) को राज्य शासन एतद्द्वारा संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में अवकाश घोषित करता है.

3. ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं, वहां प्रथम एवं द्वितीय पॉली के श्रमिकों को मतदान के दिन 02–02 घंटे का अवकाश घोषित किये जाने तथा जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी–बारी से मतदान करने की सुविधा दी जाये.

परिशिष्ट–1

त्रिस्तरीय पंचायतों के 31 दिसम्बर 2016 की स्थिति में जिले से प्राप्त रिक्त पदों की जानकारी

क्र.	जिला	जिला पंचायत सदस्य	जनपद पंचायत सदस्य	सरपंच	पंच	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	बिलासपुर	1	0	7	33	41
2.	मुंगेली	0	2	5	7	14
3.	जांजगीर–चांपा	0	0	9	24	33
4.	कोरबा	0	0	2	10	12
5.	सूरजपुर	0	0	1	34	35
6.	बलरामपुर	0	1	0	17	18
7.	सरगुजा	0	0	3	17	20
8.	कोरिया	0	0	0	14	14
9.	रायगढ़	0	0	3	36	39
10.	जशपुर	0	0	2	12	14
11.	रायपुर	0	0	5	18	23
12.	बलौदाबाजार	0	1	7	14	22
13.	गरियाबंद	0	0	1	22	23
14.	महासमुन्द	0	0	5	16	21
15.	धमतरी	0	1	3	18	22
16.	बेमेतरा	0	0	5	11	16
17.	दुर्ग	0	0	4	4	8
18.	बालोद	0	0	9	16	25
19.	राजनांदगांव	0	1	9	32	42
20.	कबीरधाम	0	0	6	34	40
21.	कोण्डागांव	0	0	2	35	37
22.	बस्तर	0	0	3	9	12
23.	नारायणपुर	0	0	0	5	5
24.	कांकेर	0	0	6	134	140
25.	दन्तेवाड़ा	0	0	2	10	12
26.	सुकमा	0	2	1	2	5
27.	बीजापुर	0	1	1	3	5
	योग	**1**	**9**	**101**	**587**	**698**

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. केरकेट्टा, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

धमतरी, दिनांक 19 जून 2017

क्रमांक/6378/भू-अर्जन/2017.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
धमतरी	नगरी	साल्हेभाठ	0.59 हेक्ट.	पनवई नाला व्यपवर्तन से 05 ग्रामों के 870 हेक्टेयर रकबा में खरीफ फसल में सिंचाई सुविधा के लिये माइनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन, ग्राम-साल्हेभाठ.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 28-06-2017 को प्रात: 11.00 बजे कार्यालय ग्राम पंचायत छुही में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	पनवई नाला व्यपवर्तन से 05 ग्रामों के 870 हेक्टेयर रकबा में खरीफ फसल में सिंचाई सुविधा के लिये माइनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन, ग्राम-साल्हेभाठ.
2	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	13
3	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
7	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 861.96 लाख
9	परियोजना से होने वाला लाभ	—	परियोजना से देवगांव, पाहंदा, बोरसी, भोथा एवं लडेर कुल 05 ग्रामों के 870 हेक्टेयर रकबा में खरीफ फसल सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में जल संवर्धन से जल स्तर में वृद्धि होगी.
10	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय किये जा रहे हैं. इस हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा.), नगरी के द्वारा मांग अनुसार संभावित मुआवजा राशि विभाग द्वारा जमा करा दी जायेगी.
11	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. आर. प्रसन्ना, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

महासमुन्द, दिनांक 3 जून 2017

क्रमांक 549/भू-अर्जन/2017.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
महासमुन्द	महासमुन्द	अचानकपुर प.ह.नं. 09	6.26 हेक्टेयर	अचानकपुर व्यपवर्तन योजना से 05 ग्रामों को 485 हेक्ट. खरीफ फसल के लिए सिंचाई सुविधा के लिए शीर्ष कार्य हेतु भू-अर्जन प्रकरण ग्राम-अचानकपुर.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक / /2017 को समय 11.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत अचानकपुर में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	अचानकपुर व्यपवर्तन योजना से 05 ग्रामों 485 हेक्ट. खरीफ फसल के लिए सिंचाई की जा सकेगी.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	66 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्रों में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 1102.26 लाख
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	अचानकपुर व्यपवर्तन योजना से 05 ग्रामों को 485 हेक्ट. में खरीफ फसल के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय किये जा रहे हैं.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति की कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

महासमुन्द, दिनांक 3 जून 2017

क्रमांक 553/भू-अर्जन/2017.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
महासमुन्द	महासमुन्द	रैमुड़ा प.ह.नं. 06	3.70 हेक्ट.	अचानकपुर व्यपवर्तन योजना से 05 ग्रामों को 485 हेक्ट. खरीफ फसल के लिए सिंचाई सुविधा के लिए शीर्ष कार्य हेतु भू-अर्जन प्रकरण ग्राम-रैमुड़ा.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक / /2017 को समय 11.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत अचानकपुर में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	अचानकपुर व्यपवर्तन योजना से 05 ग्रामों 485 हेक्ट. खरीफ फसल के लिए सिंचाई की जा सकेगी.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	24 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्रों में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 1102.26 लाख
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	अचानकपुर व्यपवर्तन योजना से 05 ग्रामों को 485 हेक्ट. में खरीफ फसल के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय किये जा रहे हैं.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति की कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हिमशिखर गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 16 जून 2017

क्रमांक/9693/अ-82/2017.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-गुंजियाबोर, प.ह.नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.045 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	169/2	0.045
योग	01	0.045

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भनेतरा माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 16 जून 2017

क्रमांक/9695/अ-82/2017.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बरदुली, प.ह.नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.258 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	392/5	0.024
	392/1 छ	0.002
	385	0.004
	83/2	0.045
	121/1	0.072
	89/1	0.004
	91/2	0.004
	99/1, 100/1	0.069
	102/2	0.006
	123/1	0.028
योग	10	0.258

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बोईरडीह माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 16 जून 2017

क्रमांक/9697/अ-82/2017.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-गुंजियाबोर, प.ह.नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.184 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1244/3	0.020
	1244/1	0.016
	1244/2	0.020
	1244/4	0.016
	1244/5	0.016
	1245/4	0.028
	1245/2	0.032
	1245/3	0.036
योग	08	0.184

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गुंजियाबोर एनीकट निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 16 जून 2017

क्रमांक/9699/अ-82/2017.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-कुटराबोर, प.ह.नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.089 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	792/6	0.040
	912/1	0.049
योग	02	0.089

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बरदुली वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 16 जून 2017

क्रमांक/9701/अ-82/2017.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-देवरघटा, प.ह.नं. 22
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.104 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	510/8	0.036
	502/3	0.020
	502/4	0.024
	510/1	0.004
	510/2	0.008
	355/2	0.012
योग	06	0.104

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बरदुली वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. भारतीदासन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रायगढ़ (छ.ग.)

रायगढ़, दिनांक 3 जून 2017

प्रारूप–ख
[नियम 5 (1) देखिये]

क्रमांक 98 बी 121/2016–17.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम साराडीह, प.ह.नं. , तहसील–डभरा, जिला–जांजगीर–चांपा, छ.ग. के परिवहन हेतु ग्राम–लारा, प.ह.नं. 40, तहसील–पुसौर, जिला–रायगढ़ तक मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड ग्राम लारा द्वारा भूमिगत पाइप लाईन बिछाई जानी है.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम–गोतमा, प.ह.नं. 34, तहसील–पुसौर, जिला–रायगढ़ की भूमि का जिसमें भूमिगत पाइप लाईन बिछाए जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छ.ग. भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के 21 दिवस (इक्कीस दिवस) के भीतर भूमि के नीचे पाइप लाईन बिछाए जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी रायगढ़ छ.ग. को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)	
			खसरा नं.	रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रायगढ़	पुसौर	गोतमा/34	13/7	0.101
			2/1	0.040
			योग कुल ख. नं. 2	**कुल रकबा 0.141 हे.**

टीप :—

1. भूमि के नीचे पाइप लाईन बिछाए जाने के संबंध में नक्शा एवं नस्ती कार्यालय समक्ष प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रायगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.) में देखा जा सकता है.

पी. के. सर्वे,
सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय
अधिकारी (रा.).

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल

पी. 3 सी., 244-245, हाउसिंग बोर्ड कोलोनी, सेक्टर-27, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 18 मई 2017

क्रमांक 52.—"भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए संचालित योजना "भगिनी प्रसूति सहायता योजना" में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करती है :—

भगिनी प्रसूति सहायता योजना :—

(अ) **योजना का प्रावधान :—**

(iii) योजना के तहत् रुपये 10,000 एक मुश्त को अतिक्रमित करते हुए

"महिला श्रमिक को तीन किश्तों में क्रमश: गर्भधारण के प्रथम तिमाही में राशि रुपये 3,000/-, द्वितीय तिमाही में राशि रुपये 3,000/- एवं बच्चे के जन्म पश्चात् राशि रुपये 4,000/- प्रदाय किया जावेगा" अन्त: स्थापित किया जाता है.

उपरोक्त अधिसूचना, अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगी.

नया रायपुर, दिनांक 23 मई 2017

क्रमांक 53.—"भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :—

निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना :—

(अ) **योजना का प्रावधान :—**

(i) योजना का नाम "निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना" होगा.

(ii) योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा लागू योजना खेलों इण्डिया योजना के अंतर्गत चिन्हित खेल जैसे—एथलेटिक, कबड्डी, खोखो, फुटबाल, बालीबॉल, हेण्डबॉल, तीरंदाजी, कुश्ती, हॉकी, तैराकी में जिला/संभाग/राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को प्रोत्साहन राशि निम्नानुसार प्रदाय किया जावेगा—

(i) जिला स्तर पर राशि रुपये - 1,000/-
(ii) संभाग स्तर पर राशि रुपये - 2,000/-
(iii) राज्य स्तर पर राशि रुपये - 5,000/-
(iv) राष्ट्रीय स्तर पर राशि रुपये - 50,000/-

(iii) योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगा.

(ब) **योजना हेतु पात्रता :—**

(i) योजना के तहत् प्रदेश के किसी भी जिले में पंजीकृत निर्माण श्रमिक के बच्चे को लाभ की पात्रता होगी.

(ii) योजना का लाभ उन्ही बच्चों को देय होगा, जिनकी उत्कृष्टता खेल विभाग द्वारा प्रमाणित हो.

(स) **योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :—** आवेदन जिले के श्रम कार्यालय के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी को On-line जमा किए जायेंगे.

(द) **स्वीकृति का अधिकार :—** योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार संबंधित जिले के सहायक श्रम आयुक्त अथवा श्रम पदाधिकारी को होगा.

(य) **विसंगति का निराकरण :—** इस योजना के संबंध में कोई विसंगति होने पर, मण्डल के सचिव का निर्णय अंतिम होगा.

नया रायपुर, दिनांक 26 मई 2017

क्रमांक 54.—"भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :—

दुर्घटना से स्थायी दिव्यांग सहायता योजना :—

(अ) **योजना का प्रावधान :—**

(i) योजना का नाम "दुर्घटना से स्थायी दिव्यांग सहायता योजना" होगा.

(ii) योजना के अंतर्गत ऐसे निर्माण श्रमिक जो दुर्घटना से स्थायी अपंग हो जाते है, के लिए 01 वर्ष तक मंडल द्वारा रुपये 3000 मासिक अथवा एकमुश्त पेंशन (मानदेय) राशि रुपये 30000 प्रदाय किया जावेगा. (हितग्राही द्वारा जो विकल्प चुना जावेगा, देय होगा.)

(iii) योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगा.

(ब) **योजना हेतु पात्रता :—**

(i) योजना के तहत् प्रदेश के किसी भी जिले में पंजीकृत निर्माण श्रमिक को लाभ की पात्रता होगी.

(ii) योजना के सामान्तर अन्य किसी योजना का लाभ नहीं लिया हो, को लाभ की पात्रता होगी.

(iii) स्थाई दिव्यांगता का प्रमाण-पत्र राजपत्रित स्तर के चिकित्सक से प्राप्त हो.

(स) **योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :—** आवेदन जिले के श्रम कार्यालय के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी को On-line जमा किए जायेंगे.

(द) **स्वीकृति का अधिकार :—** योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार संबंधित जिले के सहायक श्रम आयुक्त अथवा श्रम पदाधिकारी को होगा.

(य) **विसंगति का निराकरण :—** इस योजना के संबंध में कोई विसंगति होने पर, मण्डल के सचिव का निर्णय अंतिम होगा.

सविता मिश्रा,
सचिव.

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 मई 2017

क्रमांक/767/न.ग्रा.नि./डभरा/वि.यो./2017.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा-15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है, कि सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला-जांजगीर-चाम्पा, छ.ग. द्वारा निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट डभरा निवेश क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र को सम्यक् रूप से अंगीकृत किये जाते हैं इस सूचना की प्रतिलिपि छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (4) के अनुसरण में "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र सम्यक रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

डभरा निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम कुसुमझर, ठनगन, छुईपाली, कटेकोनीछोटे, हरदीडीह एवं ठाकुरपाली ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम कटेकोनीछोटे, ठाकुरपाली, हरदीडीह, चुराघाट, भेंडीकोना एवं सकराली ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम सकराली, उपनी, नवापारा एवं बसंतपुर ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम बसंतपुर, कुसुमझर एवं कतगन ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र एवं रजिस्टर "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशन की तिथी से 15 दिवस की समयावधि के भीतर निम्नलिखित स्थल पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन अवधी में कार्यकारी दिवसों में (अवकाश को छोड़कर) खुला रहेगा.

निरीक्षण स्थल :— कार्यालय नगर पंचायत डभरा, जांजगीर (छ.ग.)

के. सी. भालराय,
सहायक संचालक.

कार्यालय, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

रायगढ़, दिनांक 25 मई 2017

क्रमांक 1066/वि.यो. पुसौर/नग्रानि/2017.—छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा-15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, रायगढ़ द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट पुसौर निवेश क्षेत्र में की भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र तद्नुसार सम्यक् रूप से अंगीकृत किये जाते हैं, इस सूचना की प्रति उक्त अधिनियम की धारा-15 (4) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि मानचित्र सम्यक् रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

पुसौर निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम झारमुड़ा एवं औरदा की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम औरदा, दाऊभठली, धुरनपाली, कोसमंदा, बाघाडूला, गुडु एवं ओंडेकेरा ग्राम की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम ओंडेकेरा, सराईपाली, केसापाली एवं गोतमा ग्राम की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम गोतमा, लंकापाली, छींच, तड़ोला एवं झारमुड़ा की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अंतराल तक निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन को छोड़कर खुला रहेगा.

निरीक्षण स्थल :— कार्यालय नगर पंचायत पुसौर (सभा कक्ष).

No. 1066/N.G.N./2017.—It is published for general information on the public that is pursuance of sub-section (3) of section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) an existing land use map of the planning area of Pusour as specified in the following schedule is hereby duly adopted by the Deputy Director, Town & Country Planning, Raigarh (C.G.). Copy of this notice is being sent for publication in the Chhattisgarh Gazette under sub-section (4) of section-15 of the said Act, and will be a conclusive evidence of the fact that the map has been duly prepared and adopted.

SCHEDULE

Limit of Pusour Planning Area

NORTH	:	Village Jharmuda and upto the Northern limit of Village-Aurda.
EAST	:	Village Aurda, Daubhathali, Dhuranpali, Kosmanda, Baghadula, Gudu and upto Eastern limit of Village Ondekera.
SOUTH	:	Village Ondekera, Saraipali, Kesapali and upto the Southern limit of Gotma.
WEST	:	Village Gotma, Lankapali, Chhinch, Tadola and upto the Western limit of Village Jharmuda.

The said adopted map shall be open for inspection at the following place with effect from the date of publication for a period of 15 days during office hours, except holidays.

Inspection site : Office of the Nagar Pachayat Pusour (Shabha Kaksh)

आर. एन. प्रसाद,
उप-संचालक.

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, महासमुन्द (छ.ग.)

महासमुन्द, दिनांक 24 मई 2017

क्रमांक/852/नग्रानि/LU-28/2017.—छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 (1) के अनुसरण में पिथौरा निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि संबंधित मानचित्र एवं रजिस्टर का प्रकाशन सूचना क्रमांक 72 महासमुन्द, दिनांक 16-01-2017 द्वारा किया गया था.

अतः एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधरण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट पिथौरा निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को तद्नुसार सम्यक् रूप से अंगीकृत किया जाता है एवं इस सूचना की प्रति अधिनियम की धारा 15 (4) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है. जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर सम्यक् रूप से तैयार कर अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

पिथौरा निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में	:	ग्राम अर्जुनी, सरकण्डा, अट्ठारहगुड़ी, राजासेवैयाखुर्द एवं डोंगरीपाली ग्राम की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में	:	ग्राम डोंगरीपाली, सेवैयाकला, डिघेपुर, जंघोरा, खुटेरी एवं अरंड ग्राम की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में	:	ग्राम अरंड एवं कौहाकुड़ा की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में	:	ग्राम कौहाकुड़ा, बरतुंगा, गड़बेड़ा, मुढ़ीपार एवं अर्जुनी ग्राम की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिनों छोड़कर अवलोकन के लिए उपलब्ध रहेगा.

निरीक्षण स्थल : कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, पुराना तहसील कार्यालय परिसर, राजस्व निरीक्षक कार्यालय के बाजू में, मेन रोड, महासमुन्द (छ.ग.)

No./852/T&CP/LU-28/2017.—The existing land use map and register for the Pithora Planning Area Existing land use map and Register was published under Sub section (1) of section 15 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973) vide Notice No. 72 Mahasamund date 16-01-2017.

Therefore a notice is hereby given for general information of the public that the Existing land use map and register of Pithora Planning Area Existing land use map and Register so prepared and published are duly adopted by the Director, Town & Country Planning, under the Provision of sub-section (3) of section 15 of the said Adhiniyam and a copy of the notice is also sent of its publication in Chhattisgarh Gazette. Under the provision of sub-section (4) of section 15 of the said Adhiniyam, which shall be conclusive evidence of the fact that the above map and register have been duly prepared and adopted on date.

SCHEDULE

Limit of Pithora Planning Area

NORTH	:	Village Arjuni, Sarkanda, Aththhrahagudi, Rajasewaiyakhurd & upto Northern limit of Village-Dongaripali.
EAST	:	Village Dongaripali, Sewaiyakalaa, Dighepur, Janghora, Khuteri & upto Eastern limit of Village-Arand.
SOUTH	:	Village Arand & upto Southern limit of Village-Kauhakuda.
WEST	:	Village Kauhakuda, Bartunga, Gadbeda, Mudipar & upto Western limit of Village-Arjuni.

The said adopted map and Register shall be available for inspections of general public at following place during office hours for a period of 15 days from the publication of the notice in Chhattisgarh Gazette.

Inspection site : Office of the Assistant Director, Town & Country Planning Old Tahsil office campus, Main Road, Mahasamund (C.G.).

एस. आर. अजगरा,
प्र. सहायक संचालक.

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, कोरिया (छ.ग.)

बैकुण्ठपुर, दिनांक 23 मई 2017

शुद्धि पत्र

क्रमांक/567/वि.यो./नग्रानि/2017.— छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 (1) के अनुसरण में मनेन्द्रगढ़ निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि संबंधित मानचित्र एवं रजिस्टर का प्रकाशन सूचना क्रमांक ......बैकुण्ठपुर दिनांक .... द्वारा किया गया था.

अत: एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया छ.ग. द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट मनेन्द्रगढ़ निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को तद्नुसार सम्यक रूप से अंगीकृत किया जाता है एवं इस सूचना की प्रति अधिनियम की

धारा 15 (4) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है. जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर सम्यक रूप से तैयार कर अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

मनेन्द्रगढ़ निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में	:	ग्राम चैनपुर, मनेन्द्रगढ़ एवं चनवारीडांड़ ग्राम की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में	:	ग्राम मनेन्द्रगढ़ एवं चैनपुर ग्राम की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में	:	ग्राम चनवारीडांड़ एवं मनेन्द्रगढ़ की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में	:	ग्राम चनवारीडांड़ की पश्चिमी सीमा तक.

धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित की जाती है कि संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, के स्थान पर सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, बैकुण्ठपुर जिला कोरिया छ.ग. पढ़ा जावे.

उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिनों को छोड़कर अवलोकन के लिए उपलब्ध रहेगा.

निरीक्षण स्थल — कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया छ.ग.

No./567/वि.यो./नग्रानि/2017.—The existing land use map and register for the Manendragarh Planning Area Existing land use map and Register was published under sub section (1) of section 15 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) vide Notice No. .... Baikunthpur date ....

Therefore a notice is hereby given for general information of the public that the Existing Land use map and Register of Pithora Planning Area, Existing land use map and Register so prepared and published are duly adopted by the Assistant Director, Town & Country Planning Baikunthpur, Dist.-Korea, C.G. under the Provision of sub-section (3) of section 15 of the said Adhiniyam and a copy of the notice is also sent of its publication in Chhattisgarh Gazette. Under the provision of sub-section (4) of section 15 of the said Adhiniyam, which shall be conclusive evidence of the fact that the above map and register have been duly prepared and adopted on date.

SCHEDULE

Limit of Manendragarh Planning Area

NORTH	:	Village Chainpur, Manendragarh and upto the Northern limit of Chanwaridand.
EAST	:	Village Manendragarh upto the Eastern limit of Chainpur.
SOUTH	:	Village Chanwaridand and upto the Southern limit of Manendragarh.
WEST	:	upto the Western limit of Village-Chanwaridand.

In pursuance of Sub-section 3 of Section 15, it is published for general information that istead of the Director, Town and Country Planning. The Assistant Director of the Town and Country Planning Baikunthpur, District Korea Should be read.

The said adopted map and Register shall be available for inspections of general public at following place during office hours for a period of 15 days from the publication of the notice in Chhattisgrah Gazzette.

Inspection Site :— Office of the Assistant Director, Town & Country Planning, Collectorate Parisar, Baikunthpur, Dist.-Korea C.G.

एन. एस. ठाकुर,
सहायक संचालक.

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)

अम्बिकापुर, दिनांक 26 अप्रैल 2017

क्रमांक 1941/नग्रानि/अम्बिकापुर/वि.यो.-कुसमी/2017.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि कुसमी निवेश क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है उसकी एक प्रति कार्यालय कलेक्टर जिला बलरामपुर-रामानुजगंज, कार्यालय सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश अम्बिकापुर तथा नगर पंचायत कुसमी में दिनांक 28-04-2017 से कार्यालयीन अवधि के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है.

कुसमी निवेश क्षेत्र की सीमा निम्न अनुसूची में अंकित है :—

अनुसूची

कुसमी निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में	:	ग्राम करकली पश्चिम, करकली पूर्व, सेमरा, कंजीया, गजाधरपुर, नटवर नगर एवं घुटराडीह ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में	:	ग्राम घुटराडीह, रातासिली एवं रामनगर ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में	:	ग्राम रामनगर, शाहपुर, कुसमी, पकरीटोली, कंचनटोली, नीलकण्ठपुर एवं नवाडीहा ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में	:	ग्राम नवाडीहा, करकली पूर्व एवं करकली पश्चिम ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किये गए भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उक्त विनिर्दिष्ट स्थलों पर इस सूचना के छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से 30 दिवस की समयावधि के भीतर लिखित रूप से प्रस्तुत किया जाना होगा.

भूमि के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी भी व्यक्ति के द्वारा विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर प्राप्त हो, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश अम्बिकापुर द्वारा विचार किया जावेगा.

No. 1941/T&CP/Ambikapur/DP-Kusmi/2017.—Notice is hereby given that the existing land use map for Kusmi planning area has been prepared under sub-section (1) of Section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), and a copy thereof is available for inspection from date 28-04-2017 during office hours in the offices of the Collector District Balrampur-Ramanujganj, Office of the Assistant Director Town and Country Planning Ambikapur and Nagar Panchayat Kusmi District Balrampur-Ramanujganj.

The limit of Kusmi Planning Area is defined in the schedule given below.

SCHEDULE

Limits of Kusmi Planning Area

NORTH	:	Village Karkali West, Karkali East, Semara, Kanjiya, Gajadharpur, Natwar Nagar and upto the Northern limit of Ghurtradih..
EAST	:	Village Ghutradih, Ratasili and upto the Eastern limit of Ramnagar.
SOUTH	:	Village Ramnagar, Shahpur, Kusmi, Pakritoli, Kanchantoli, Nilkanthpur and upto the Southern limit of Nawadiha.
WEST	:	Village Nawadiha, Karkali East and upto the Western limit of Karkali West.

"If there be any objection or suggestion with respect to the existing land use map so prepared, it should be sent in writing to the Assistant Director, Town and Country Planning Ambikapur, within a period of thirty days from the date of publication of the notice in the "Chhattisgarh Gazette".

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map and register before the period specified above will be considered by the Assistant Director Nagar Tatha Gram Nivesh Ambikapur Chhattisgarh.

सूर्यभान सिंह ठाकुर,
सहायक संचालक.

रायपुर विकास प्राधिकरण

नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी

रायपुर, दिनांक 19 जून 2017

क्रमांक 7050/यो.शा./विप्रा./2017.—एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 50 की उपधारा (3) के अधीन ई.ए.सी. कालोनी के पुनर्निर्माण हेतु विकास योजना के लिए नगर विकास स्कीम का प्रारूप छत्तीसगढ़ राजपत्र में दिनांक 28-06-2013 को प्रकाशित किया गया था.

छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण के पत्र क्रमांक एफ-3-88/2011/32 नया रायपुर दिनांक 18-05-2017 के द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति संबंधी आदेश दिनांक 09-04-2013 निरस्त किये जाने के निर्णय के फलस्वरूप प्राधिकरण के ई.ए.सी. कालोनी के पुनर्निर्माण हेतु प्रारूप विकास योजना की अधिसूचना को निरस्त किया जाता है. सर्वसाधारण की जानकारी हेतु एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

No. 7050/यो.शा./विप्रा./2017.—Notice is hereby given that a Draft of the Town Development Scheme has been prepared for the area E.A.C. Colony reconstruction Development Scheme under sub-section (3) of section 50 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) and published in "Chhattisgarh Gazette" Dt. 28-06-2013.

As per Letter No. F-3-88/2011/32 Naya Raipur Dated 18-05-2017 of Govt. of Chhattisgarh, Housing and Evnironmental Department has cancelled the Administrative Sanction Dated 9/04/2013. There for the draft publication of E.A.C. Colony reconstruction Development Scheme has been cancelled. Notice is hereby published for general public.

संजय श्रीवास्तव,
अध्यक्ष.

कार्यालय, कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा), जिला कोरबा (छत्तीसगढ़)

कोरबा, दिनांक 25 अप्रैल 2017

क्रमांक/1266/भू.अ./रा.नि./2017.—छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पत्र क्र./एफ-1-08/2015/सात-4 नया रायपुर, दिनांक 27-09-2016 द्वारा पटवारी हल्कों का पुनर्गठन के संबंध में प्राप्त निर्देश एवं छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं पी. दयानन्द, कलेक्टर जिला कोरबा एतद्द्वारा तहसील कोरबा, करतला, कटघोरा, पाली, पोड़ीउपरोड़ा के ग्रामों के पटवारी हल्कों का पुनर्गठन निम्नानुसार करने का प्रस्तावित करता हूं :—

तहसील	रा.नि.मं. का नाम	पटवारी हल्का क्र./नाम	आश्रित नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कैफियत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कोरबा	2 सोनगुढ़ा	सोनगुढ़ा	सोनगुढ़ा औराकछार	
		37 धनगांव	धनगांव पोड़ीखोहा	धनगांव	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कोरबा	3 अजगरबहार	अजगरबहार	अजगरबहार	
			गौरबोरा		
			नरबदा		
			माखुरपानी		
			विश्रामपुर		
			सरईसिंगार		
			गढ़कटरा		
		38 सतरेंगा	सतरेंगा	सतरेंगा	
			झोरीबहार (डु.)		
			मारगांव (डु.)		
			खैरभवना		
		5 लेमरू	लेमरू	लेमरू	
			अरेतरा		
			केउबहार		
		39 बड़गांव	बड़गांव	बड़गांव	
			सुर्वे		
		6 नकिया	नकिया	नकिया	
			रपता		
			विमलता		
			पेण्ड्रीडीह		
		40 अरसेना	अरसेना	अरसेना	
			कुटुरूवां		
			डोकरमना		
			कुदरीचिंगर		
	भैसमा	19 भैसमा	भैसमा	भैसमा	
			चीतापाली	चीतापाली	
		41 कुकरीचोली	कुकरीचोली	कुकरीचोली	
			मसान	मसान	
		20 बेंदरकोना	बेंदरकोना	बेंदरकोना	
			करमंदी	करमंदी	
		26 रजगामार	रजगामार	रजगामार	
			छुईढोढ़ा		
		42 गोडमा	गोडमा	गोडमा	
			केसला		
			पतरापाली	पतरापाली	
			टेवानार		
			ठाकुरखेता		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	भैसमा	27 पसरखेत	पसरखेत	पसरखेत	
			धौराभांठा		
		43 केराकछार	केराकछार	केराकछार	
			दरगा		
			मौहार		
		31 मदनपुर	मदनपुर	मदनपुर	
			कोल्गा	कोल्गा	
		44 बासीन	बासीन	बासीन	
करतला	बरपाली	1 तरदा	तरदा	तरदा	
			बैगापाली		
			भादा		
		35 कथरीमाल	कथरीमाल	कथरीमाल	
			गुमिया	गुमिया	
		2 कनकी	कनकी	कनकी	
			जोगीपाली		
		3 सरगबुंदिया	सरगबुंदिया	सरगबुंदिया	
			ढनढनी		
		36 सण्डेल	सण्डेल	सण्डेल	
				भैसामुड़ा	
		4 बरपाली	बरपाली	बरपाली	
		37 सलिहाभांठा	सलिहाभांठा	सलिहाभांठा	
			बंधवाभांठा		
		9 सुखरीकला	सुखरीकला	सुखरीकला	
			सुखरीखुर्द	सुखरीखुर्द	
		10 उमरेली	उमरेली	उमरेली	
				अमलडीहा	
				नवापारा	
		11 खरवानी	खरवानी	खरवानी	
			मौहाडीह		
			सरईपाली		
			कर्रापाली	कर्रापाली	
			टुण्डा		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
करतला	बरपाली	38 जमनीपाली	जमनीपाली पचपेड़ी	जमनीपाली पचपेड़ी	
		15 साजापानी	साजापानी भंवरखोल करईनारा भेलवागुडी सीधापाठ	साजापानी करईनारा	
		16 पठियापाली	पठियापाली धमनागुड़ी घाटाद्वारी दमखांचा खरहरकुडा	पठियापाली घाटाद्वारी	
	करतला	26 सेन्द्रीपाली	सेन्द्रीपाली	सेन्द्रीपाली	
		39 पीड़िया	पीड़िया बांधापाली	पीड़िया बांधापाली	
		34 बेहरचुंवा	बेहरचुंवा बोकरदा	बेहरचुंवा	
		40 खुंटाकुड़ा	खुंटाकुड़ा सुवरलोट	खुंटाकुड़ा सुवरलोट	
कटघोरा	कटघोरा	6 ढेलवाडीह	ढेलवाडीह धवईपुर डुड़गा	ढेलवाडीह धवईपुर	
		33 ढपढप	ढपढप कसरेंगा सिंघानी अभयपुर	ढपढप सिंघानी	
		7 जेंजरा	जेंजरा हुकरा	जेंजरा हुकरा	
		15 बांकी (न.पा.नि.क्षेत्र)	बांकी (न.पा.नि.क्षेत्र)	बांकी (न.पा.नि.क्षेत्र)	
		34 पौसरा	पौसरा बिरकोना शुक्लाखार हर्राभांठा देवरी कोरई	पौसरा शुक्लाखार	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कटघोरा	दीपका	31 दीपका (न.पा.क्षेत्र)	दीपका	दीपका (न.पा.क्षेत्र)	
			मलगांव	मलगांव	
			झिंगटपुर		
		35 ढुरेना	ढुरेना	ढुरेना	
			बिंझरा		
			जूनाडीह		
पाली	पाली	1 मदनपुर	मदनपुर	मदनपुर	
			कुटेलामुड़ा	कुटेलामुड़ा	
		41 बड़ेबांका	बड़ेबांका	बड़ेबांका	
			नानबांका	नानबांका	
		2 डोड़की	डोड़की	डोड़की	
			भेलवाटिकरा		
			ठाड़पखना		
			सगुना		
		42 नवापारा	नवापारा	नवापारा	
			बम्हनीखुर्द	बम्हनीखुर्द	
		13 बतरा	बतरा	बतरा	
		43 कर्रा	कर्रा	कर्रा	
			कोड़ार	कोड़ार	
		17 पुलालीकला	पुलालीकला	पुलालीकला	
			मुढ़ाली	मुढ़ाली	
		44 नानपुलाली	नानपुलाली	नानपुलाली	
			नवापारा		
		19 बुड़बुड़	बुड़बुड़	बुड़बुड़	
			ढूकुपथरा	ढूकुपथरा	
		45 दमियाँ	दमियाँ	दमियाँ	
			सरईपाली	सरईपाली	
			रंगोले		
		23 पाली (न.पंचा.)	पाली (न.पंचा.)	पाली (न.पंचा.)	
		46 मादन	मादन	मादन	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पाली	हरदी बाजार	28 तिवरता	तिवरता	तिवरता	
		47 लिटियाखार	लिटियाखार	लिटियाखार	
			पखनापारा		
			सिरकीखुर्द	सिरकीखुर्द	
		36 हरदीबाजार	हरदीबाजार	हरदीबाजार	
		48 अमगांव	अमगांव	अमगांव	
			सरईसिंगार	सरईसिंगार	
		38 कोरबी	कोरबी	कोरबी	
		49 धतूरा	धतूरा	धतूरा	
			जोरहाडबरी	जोरहाडबरी	
पोड़ीउपरोड़ा	पसान	17 कर्री	कर्री	कर्री	
			तुलबुल		
			चन्द्रौटी	चन्द्रौटी	
		47 सारिसमार	सारिसमार	सारिसमार	
			पंडरीपानी		
			बाधिनडांड		
		27 लमना	लमना	लमना	
			चोटिया		
			मड़ई	मड़ई	
		48 परला	परला	परला	
			कांपानवापारा		
			बनिया	बनिया	
		28 गुरसिया	गुरसिया	गुरसिया	
			बंजारी	बंजारी	
	पोड़ीउपरोड़ा	32 कुटेसर नगोई	कुटेसर नगोई	कुटेसर नगोई	
			घोघरा (विरान)		
			झुलाझेरिया		
			बरतराई		
			चिर्री		
		49 अमलडीहा	अमलडीहा	अमलडीहा	
			अमझर	अमझर	
			पचधार		
			डुमरमुड़ा		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पोड़ीउपरोड़ा	पोड़ीउपरोड़ा	34 सिंघिया	सिंघिया	सिंघिया	
			मुड़धोवा		
			कर्रा		
			मलदा	मलदा	
			लोढ़ीबहरा		
		50 कोरबी	कोरबी	कोरबी	
			अचानकरपुर		
		35 सुतर्रा	सुतर्रा	सुतर्रा	
			कापुबहरा		
			लखनपुर	लखनपुर	
		51 जुराली (न.पा.क्षे.)	जुराली (न.पा.क्षे.)	जुराली (न.पा.क्षे.)	
			कसनिया (न.पा.क्षे.)	कसनिया (न.पा.क्षे.)	
		44 मोरगा	मोरगा	मोरगा	
			धजाक	धजाक	
		52 केंदई	केंदई	केंदई	
			ठुटीपीपर		
			नवघटा (डु.)		
			उदेना (डु.)		
			लरला (डु.)		
			तुंगा (डु.)		
			जिल्दा (डु.)		
			साखों	साखों	
		45 मदनपुर	मदनपुर	मदनपुर	
			पुटा		
			पतुरियाड़ाड	पतुरियाड़ाड	
		53 खिरटी	खिरटी	खिरटी	
			उचलेंगा		
			केतमा		
		46 अरसिया	अरसिया	अरसिया	
			नवापारा		
			कांटाकछार		
			गिधमुड़ी	गिधमुड़ी	
			खोटखोर्री		
			ठिर्रीआमा		

पी. दयानंद,
कलेक्टर.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 12th April 2017

No. 754/Confdl./2017/II-2-1/2017.—The Following Members of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2) of the table below, are transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their office (s) and ;

The following Members of Higher Judicial Service are appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date they assume charge of their office (s) :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Smt. Anita Dahariya, Judge, Family Court.	Rajnandgaon	Ambikapur	Ambikapur	I Additional District & Sessions Judge.
2.	Shri Brijendra Kumar Shastri, I Additional District & Sessions Judge.	Baloda-Bazar	Raigarh	Raigarh	I Additional District & Sessions Judge.
3.	Smt. Dhaneshwari Sidar, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court).	Dantewara	Khairagarh	Rajnandgaon	Additional District & Sessions Judge.
4.	Shri Chhameshwar Lal Patel, Additional District & Sessions Judge.	Bemetara	Dhamtari	Dhamtari	Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court).
5.	Smt. Girija Devi Meravi, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court).	Durg	Surajpur	Surajpur	I Additional District & Sessions Judge.
6.	Ku. Saroj Nand Das, Additional District & Sessions Judge.	Khairagarh	Raigarh	Raigarh	III Additional District & Sessions Judge.
7.	Shri Santosh Kumar Aditya, I Additional District & Sessions Judge.	Surajpur	Janjgir-Champa	Janjgir-Champa	Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court).
8.	Shri Khilawan Ram Rigri, Addl. Judge to the Court of Additional District & Sessions Judge.	Ramanujganj	Bilaspur	Bilaspur	I Additional District & Sessions Judge.
9.	Shri Devendra Nath Bhagat, Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court).	Dhamtari	Jagdalpur	Bastar (Jagdalpur)	I Additional District & Sessions Judge.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.	Shri Parfull Sonwani, I Additional District & Sessions Judge.	Ambikapur	Baloda Bazar	Baloda Bazar	I Additional District & Sessions Judge.
11.	Shri Ramjivan Dewangan, II Additional District & Sessions Judge.	Baloda Bazar	Durg	Durg	II Additional District & Sessions Judge.
12.	Shri Liladhar Sarthi, VI Additional District & Sessions Judge.	Bilaspur	Raipur	Raipur	VI Additional District & Sessions Judge.
13.	Shri Rishi Kumar Burman, II Additional District & Sessions Judge.	Durg	Ramanujgan	Surguja (Ambikapur)	I Additional Judge to the Court of Additional District & Sessions Judge, Ramanujganj.
14.	Ku. Sanghpushpa Bhatpahari, VI Additional District & Sessions Judge.	Durg	Surajpur	Surajpur	III Additional District & Sessions Judge.
15.	Smt. Geeta Neware, I Additional District & Sessions Judge.	Bilaspur	Raigarh	Raigarh	IV Additional District & Sessions Judge.
16.	Shri Harish Kumar Awasthi, III Additional District & Sessions Judge.	Surajpur	Durg	Durg	Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court).
17.	Smt. Sharddha Shukla Sharma IV Additional District & Sessions Judge.	Raipur	Bilaspur	Bilaspur	Additional District & Sessions Judge (Fast Trac Court)
18.	Smt. Garima Sharma, I Additional District & Sessions Judge.	Raigarh	Durg	Durg	IV Additional District & Sessions Judge.
19.	Shri Pankaj Sharma, VII Additional District & Sessions Judge.	Durg	Bilaspur	Bilaspur	VI Additional District & Sessions Judge.
20.	Smt. Mamta Patel, II Additional District & Session Juge.	Mahasamund	Bemetara	Bemetara	Additional District & Sessions Judge.
21.	Shri Siddharth Aggarwal, Deputy Secretary, Government, of Chhattisgarh Law Department.	New Delhi	Bilaspur	Bilaspur	VII Additional District & Sessions Judge.

Bilaspur, the 12th April 2017

No. 756/Confdl./2017/II-2-1/2017.—The Following Senior Civil Judges, as specified in Column No. (2), who have been promoted and appointed to the post of District Judge (Entry Level) in officiating capacity by the State Government vide its Order No. 3069/167/XXI-B/C.G./2017 dated 29-03-2017, are transferred from the place specified

in Column No. (3) to the place specified in Column No. (4) and posted in the capacity as specified in Column No. (6) from the date they assume charge of their office(s) and;

The following Senior Civil Judges, as specified in Column No. (2), who have been promoted and appointed to the post of District Judge (Entry Level) in officiating capacity by the State Government, are appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division, mentioed in Column No. (5) from the date they assume charge of their office (s) :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Vivek Kumar Verma, I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.	Raipur	Raipur	Raipur	IV Additional District & Sessions Judge.
2.	Shri Vijay Kumar Sahu, I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.	Jagdalpur	Durg	Durg	VI Additional District & Sessions Judge.
3.	Smt. Pooja Jaiswal, I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.	Janjgir-Champa	Janjgir-Champa	Janjgir-Champa	III Additional District & Sessions Judge.
4.	Shri Madhushudhan Chandrakar, I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.	Mungeli	Durg	Durg	VII Additional District & Sessions Judge.
5.	Smt. Pratibha Verma, Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.	Dantewara	Dantewara	Dantewara	Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court).
6.	Shri Kamlesh Jagdalla, I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.	Kanker	Surajpur	Surajpur	II Additional District & Sessions Judge.
7.	Shri Kiran Kumar Jangade, Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.	Bijapur	Bilaspur	Bilaspur	VIII Additional District Sessions Judge.
8.	Shri Shyam Sunder Kashyap, I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.	Baikunthpur	Baloda-Bazar	Baloda-Bazar	II Additional District & Sessions Judge.
9.	Shri Avinash Tiwari, I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.	Mahasamund	Mahasamund	Mahasamund	II Additional District & Sessions Judge.

By order of of the High Court,
ARVIND SINGH CHANDEL, Registrar General.